(राजस्थान सरकार)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं**

पीठासीन अधिकारी:–
पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 66 / 2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 145

1. श्रेष्ठ कुमार पुत्र श्री अभय सिंह जाति अहीर निवासी अमरसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

...............वादी

**बनाम**

1. अन्तर सिह पुत्र श्री हरिराम जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.................प्रतिवादीगण

**दावा बाबत:– खाता विभाजन**

–:निर्णय:– दिनांक:– 19/8/25

**(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–**

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 5 के हाल खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.80 हैक्टर, में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने दर्ज हिस्सा अनुसार बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज कास्त हैं वादी का कब्जा ख0 न0 1420 के पूर्वी भाग पर है जिसमें वादी सुधार कार्य कर लाखो रूप्ये खर्च किये हैं तथा प्रतिवादी ने अपने हिस्से पर तारबाड़ कर रखी हैं।
2. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि हैं तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी [illegible] हिस्से की भूमि पर सुधार कार्य करने, सीमाए कायम करने, ऋण आदि लेने [illegible] परेशानी वादी को हो रही हैं जिस कारण वादी अपनी भूमि में [illegible] नही कर पाते हैं जिससे वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादी व प्रतिवादीगण की भूमि सयुक्त खातेदारी की होने वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को खाता विभाजन नही करवाने पर पैदा हुआ है इसलिए दावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी दावा खाता विभाजन के कोई समय सीमा नही हैं।

**वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-**

(क). कि वाके ग्राम पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 5 के हाल खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.80 हैक्टर, में वादी का 1/2 हिस्सा का खाता अलग विभाजन कर विभाजित में ख0 न0 1420 का पूर्वी भाग विभाजन में देने को प्राथमिकता में देते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने की कृपा करें।

**(2).** दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री संदीप यादव एडवोकेट द्वारा U/T ली गई जवाब/वकालतनामा पेश नही हुआ जवाब हेतु कई अवसर दिये गये जवाब बंद कर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनाक 24.07.2024 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायाल वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.12.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 531 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1836 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं ... किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 वाके ग्राम पचेरी ... भूमि हाल खाता संख्या 05 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका ... स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

राजस्व वाद संख्या:–66/2023
श्रेष्ठ कुमार बनाम अन्तर सिंह आदि
निर्णय दिनांक– 19.08.2025

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 5 के हाल खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.80 हैक्टर, मे वादी का 1/2 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड मे अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

निर्णय आज दिनांक 19/8/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सारे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:45 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)**

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

**राजस्व वाद सं.– 66 / 2023** **जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 145**

श्रेष्ठ कुमार **बनाम** अन्तर सिंह आदि

**दावा बाबत**– खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट** की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 5 के हाल खसरा नम्बर 1420 रकबा 0.80 हैक्टर, में वादी का 1/2 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19/8/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:45 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)